

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

श्री राहुल वर्मा,
अपर महाधिवक्ता,
मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।

संख्या : 154 / ग्रा0सी0-2024

दिनांक : 28, फरवरी, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 753/2023, डॉ0 राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 753/2023, डॉ0 राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत पत्र संख्या 152/ग्रा0सी0/2024 दिनांक 22 फरवरी, 2024 के द्वारा उप जिलाधिकारी सदर देहरादून की संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रेषित की गई थी। उक्त के क्रम प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक संख्या 2876/1-1 दिनांक 28.02.2024 में प्राप्त आदेशों के अनुपालन में गठित समिति की जांच रिपोर्ट तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीया,



(सोनिका)

जिलाधिकारी,

देहरादून।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वनप्रभाग, मसूरी।

दूरभाष एवंफैक्स नं०-0135-2631765, ई-मेल dfo_mussorie@rediffmail.com

पत्रांक- 2876 /1-1, दिनांक: मसूरी, 28. 02. 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।


विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना-पत्र संख्या-753/2023.

महोदया,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना-पत्र संख्या-753/2023 में प्राप्त आदेशों के अनुपालन में गठित समिति की जांच रिपोर्ट तैयार कर अपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्नित रिपोर्ट मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में दाखिल करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


(वैभव कुमार सिंह, मा० व० सं०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

संख्या /1-1तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून।


(वैभव कुमार सिंह, मा० व० सं०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Am (FR) / LBC.



Report of the Committee constituted as per the orders of Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 753/2023 Dr. Rajesh Bahuguna vs State of Uttarakhand and Ors dated 04/01/2024


In pursuance of the orders of Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 753/2023 Dr. Rajesh Bahuguna vs State of Uttarakhand and ors dated 04/01/2024 a joint committee consisting of the nominated representatives of PCCF(HoFF) Uttarakhand; Regional Officer IRO,MoEF&CC Dehradun and DM Dehradun as mentioned below was constituted .

- Sh. Vinay Bhargava, Conservator of Forests, Yamuna Circle (nominated by PCCF (HoFF), Uttarakhand as his representative vide letter No-166/29-5 dated-21-02-2024)
- Smt. Neelima Shah, Assistant Inspector General, Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India, Dehradun (nominated by Regional Officer, Integrated Regional Office, MoEF&CC vide letter No-NGT/01/2024/1464 dated-19-02-2024 as his representative)
- Sh Har Giri, Sub Divisional Magistrate, Sadar, Dehradun (nominated by District Magistrate Dehradun as her representative vide letter No-144/प्र०सीलिंग-अनु० / 2023 dated-02-02-2024)

The members of the Joint committee as mentioned above inspected the area in question i.e. Aamwala Tarla Reserve forest on 23rd Feb. 2024 and 26th Feb. 2024. Petitioner Sh. Rajesh Bahuguna was also present on 26thFeb. 2024.

Assessment of the ground situation:-

1. Preliminary survey of the area in question i.e. Aamwala Tarla Reserve forest was carried out and .kml file was prepared for subsequent analysis. Analysis of the .kml file depicts that there is neither cutting of trees nor clearing of land, as per the satellite imagery for the period from 2013 to 2022(**Annexure 1**). As informed by the Range Officer, Raipur, there is no reported case of encroachment in this area as per the official records. However, in order to further verify it and to re-establish the missing boundary pillars, a letter has been sent by the Divisional Forest Officer, Mussoorie to the Director, Survey of India,Dehradun. In the meantime, few missing boundary pillars have been temporarily re-established (**Annexure 2**). As soon as the Survey of India completes the detailed survey,




all the missing boundary pillars will be permanently established; and in case any encroachment is found in Reserve Forest Land in question, legal action shall be initiated as per the provisions of Indian Forest Act, 1927.

2. As per the interaction with local people of the area, it was conveyed that a temporary *Kachha* pathway of around 200 mtr. length (**Annexure 3**) was being used by them since past many years for convenience purpose, as it shortens their connectivity to main Sahastradhara Road by about 3-4 kms and the same is being obstructed from time to time by the field staff of Raipur Range by digging trenches. In the month of September 2022 also, the team of Raipur Range, Mussoorie Forest Division, had dug trench in this area, for preventing any unauthorized movement, remnants of which could be seen and was also verified by the photographs shown by the field staff, which has also been admitted by the petitioner in his petition (**Annexure 4**). During the site visit, the *kaccha* path was again found to be closed by digging trenches at both its ends and sign board put up by the staff of Raipur Range was also found (**Annexure 5**). The local people requested the committee members to allow them to use this *kaccha* path and to instruct the Forest Department officials not to obstruct it permanently.

The area was also checked for any residual stumps of Sal (*Shorea robusta*) trees, and it was found that there were no visible stumps or fallen trees etc. that could indicate that any trees have been illegally cut in this area. Also as per the instruction of Divisional Forest Officer, Mussoorie, all the trees in this area have duly been counted for ensuring their protection and regular monitoring. (**Annexure 6**).

3. As per the interaction with local residents, most the lands northwards of the area in are owned by private individuals in the form of small plots since the past many years and there is no real estate company/builder project present adjoining the reserve forest boundary & no evidence about selling of forest land was found. The petitioner present during the visit on 26th Feb. 2024 was also unable to provide any specific evidence for the same.




Interpretation of the Committee: In light of the above-mentioned facts and perusal of documents, it is safely inferred that:-

1. There was no illegal felling of trees and fresh cutting of *kaccha* path for widening in this area, as alleged by the petitioner.
2. Although there is a temporary *kaccha* pathway of around 200 mtr., but it has been in use by the locals and forest staff since past many years, which is also validated by Google Earth Imagery of past years.
3. On the issue of alleged encroachment in this area, as informed by the Range Officer, Raipur, there is no reported case of encroachment in this area. But to further ensure the protection of reserve forest land, a letter for a detailed survey has been sent to Director, Survey of India, Dehradun, so that few missing boundary pillars can be re-established and in case any land is found encroached then suitable legal action will be taken against the encroachers.

Extent of damage: To check the extent of damage caused in the reserved forest area, it was found that the temporary *kaccha* path of around 200 mtr. length is witnessing soil erosion. The Divisional Forest Officer, Mussoorie informed the committee that a proposal for plantation and eco-restoration of this area has already been prepared and the entire path will be restored by barbed wire fencing and plantation in the coming monsoon season.


Sh. Har Giri, SDM
Sadar Dehradun


Smt. Neelima Shah, IFS
Assistant Inspector General,
RO MoEF & CC Dehradun


Sh. Vinay Bhargava, IFS
Conservator of Forests
Yamuna Circle

Photographs of few temporary pillars being re-established by Mussoorie Forest Division

Annexure 2





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०-0135-2631765, ई-मेल dfo_mussorie@rediffmail.com

पत्रांक-26/1-1, दिनांक: मसूरी, 13-2-2024

सेवा में,

Director
UK & West UP
E.C. Road, Dehradun

विषय:- आमवाला तरला स्थित आरक्षित वन लाडपुर कक्ष सं० 4ए के सर्वे के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना-पत्र संख्या-753/2023 डा० राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित याचिका में प्राप्त आदेशों के क्रम में अवगत कराना है, वन क्षेत्राधिकारी रायपुर के पत्रांक 1098/27 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की रायपुर रेंज आमवाला तरला स्थित आरक्षित वन अन्तर्गत लाडपुर कक्ष सं० 4ए में लगभग 50 से अधिक सीमा स्तम्भों की स्थिति मौके पर स्पष्ट नहीं है, जिनकी पुनर्स्थापना हेतु सर्वे-सीमांकन किया जाना है।

अतः संलग्न गजट के अनुसार प्रश्नगत आरक्षित वन क्षेत्र में सर्वे-सीमांकन एवं सीमा स्तम्भों की पुनर्स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि/प्रस्ताव से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(वैभव कुमार सिंह, भा०का०के०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

संख्या 269/11 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन क्षेत्राधिकारी रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सर्वे ऑफ इण्डिया, उत्तराखण्ड, देहरादून से संपर्क कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(वैभव कुमार सिंह, भा०का०के०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वनप्रभाग, मसूरी।



दूरभाष एवंफैक्स नं०-0135-2631765, ई-मेल dfo_mussorie@rediffmail.com

पत्रांक- 2691 / 1-1, दिनांक: मसूरी, 13. 02. 2024

सेवा में,

Director
UK & West UP
E.C. Road, Dehradun.

विषय:- आमवाला तरला स्थित आरक्षित वन लाडपुर कक्ष सं० 4ए के सर्वे के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना-पत्र संख्या-753/2023
डा० राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित याचिका में प्राप्त आदेशों के क्रम में अवगत कराना है, वन क्षेत्राधिकारी रायपुर के पत्रांक 1098/27 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की रायपुर रेंज आमवाला तरला स्थित आरक्षित वन अन्तर्गत लाडपुर कक्ष सं० 4ए में लगभग 50 से अधिक सीमा स्तम्भों की स्थिति मौके पर स्पष्ट नहीं है, जिनकी पुर्नस्थापना हेतु सर्वे-सीमांकन किया जाना है।

अतः संलग्न गजट के अनुसार प्रश्नगत आरक्षित वन क्षेत्र में सर्वे-सीमांकन एवं सीमा स्तम्भों की पुर्नस्थापना हेतु आवश्यक धनराशि/प्रस्ताव से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(वैभव कुमार सिंह, मा०व०से०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

संख्या 2691/1-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-

- 1- उप प्रभागीय वनाधिकारी, (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- वन क्षेत्राधिकारी रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप सर्वे ऑफ इण्डिया, उत्तराखण्ड, देहरादून से संपर्क कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(वैभव कुमार सिंह, मा०व०से०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Photographs of kaccha path in Amwal Tarla Reserve Forest During the visit of Committee on dated 26th Feb. 2024

Annexure 3



Photograph of the Sign Board put up on this Kaccha Path by Raipur Forest Range in

September 2022

Annexure 4



Photograph of Obstructed Kaccha Pathway by Digging trench and Sign Board on the site found by the committee.

Annexure 5





कार्यालय, वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग।

पत्रांक: 1167 / 27, किदूवाला, दिनांक: 26, फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

द्वारा:-

उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, मसूरी वन प्रभाग।

विषय:-

लाडपुर कक्ष सं० 4ए में अवैध पातन की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार लाडपुर कक्ष सं० 4ए के अन्तर्गत सलग्न सूची के अनुसार टीम द्वारा जांच की गई जांच के दौरान कोई अवैध पातन होना नहीं पाया गया। अतएव सूचना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवामें प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,


वन क्षेत्राधिकारी,
रायपुर रेंज।



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग।



पत्रांक— 1167 /27, किद्दूवाला दिनांक: 26.फरवरी 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

द्वारा:— उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून।

विषय:— लाडपुर कक्ष सं0 4ए में अवैध पातन की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार लाडपुर कक्ष सं0 4ए के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार टीम द्वारा जांच की गई जांच के दौरान कोई अवैध पातन नहीं होना पाया गया।

अतएव सूचना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

वन क्षेत्राधिकारी,
रायपुर रेंज।

सेवा में,

दिनांक - 23-02-24

प्रभागीय वनाधिकारी
असुरी वन प्रभाग असुरी।

विषय:- फ्लाम वाला तरला छुणा इन्क्लेव में शिकायत के सम्बन्धित।

अद्येय

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध के छेहे गये विद्युत के सम्बन्धित विद्युत का निराकरण बिन्दु पर 1) वर्तमान समय में कोई भी वन शक्ति नहीं बेची जा रही है। 2) सब निष्कर्ष से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। 3) पैदावार कोई भी कटान नहीं हो रहा है। 4) वन शक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। 5) वन शक्ति के किसी भी प्रकार की कार्यवाही बाह्य विधियों नहीं है। 6) स्थानीय निवासियों द्वारा कोई भी शिकायत पत्र नहीं दिया गया है।

कल: अद्येय द्वारा चाही जपी सूचना सादर प्रेषित।

<p><u>विजय विही</u> आश्रवाला व(का) शुभ उपाख्यान आश्रवाला व(का) 8077299744 इला शर्मा - 8938874390 <u>Shivam</u> मुकेश-प-ई व(का) 9411573052 वीने नीता - 9997510067 सिमला - 8057478496 Shivam - 9927699349 MADHURI - 9927699349 Rishendra Singh Chauhan 75350-52915</p>	<p><u>सरोजनी देवी</u> 7895510188 <u>सीमानकचवल</u> 8392812654 <u>Sonal</u> 9536110091 <u>Parti</u> 9149353347 Sunita Rawat 8630881317 Anchal Nairthi 6398054691</p>	<p><u>गवरीप</u> निवासी जग आश्रवाला तरला छुणा इन्क्लेव सदर कार्यवाही पद</p>
--	--	--

~~राजेश्वर~~
941157882

Sumita Chachan

Sharmila
9634111978

मीना
9634121983

~~शिव शीवापुरी~~
8449612251

Anind Rawat

~~Sandeep Nuthur~~

Sandeep

Mandri

~~Sun~~

~~CP~~

मि. Yगर्ग

प्रेमा देवी

वीरबलजीमाल

9634111978

पतंजलि शर्मा

7500125293

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय:- आमवाला तरला कृष्णा इन्कलेव में शिकायत के सम्बन्धित।

महोदय,

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में पूछे गये बिन्दुओं के सम्बन्धित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दु संख्या-1. वर्तमान समय में कोई भी वन भूमि नहीं बेची जा रही है। 2. सड़क निर्माण से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। 3. पेड़ों का कोई भी कटान नहीं हो रहा है। 4. वन भूमि को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। 5. वन भूमि में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं है। 6. स्थानीय निवासियों द्वारा भी शिकायती पत्र नहीं दिया गया है।

अतः महोदय द्वारा चाही गयी सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय,

निवासी गण आमवाला तरला
इन्कलेव सहस्त्रधारा मार्ग देहरादून।

विजय गिरि

आमवाला तरला,

पूर्व उप प्रधान, आमवाला तरला

81077299744

ईला शर्मा-8938874390

प्रकाश चन्द्र बहुगुणा

9411573052

विनीता

9997510067

बिमला

शिवम-9927699349

Madhuri-9927699349

birendra singh chauhan-7535052915

सरोजनी देवी-7895510188

सीमा नक्चवाल-8392812654

sonal-9536110091

arti-9149353347

sunita rawat 8630881317

anchal naithani-6398054691

राजेश्वरी-9411573052

सुनीता चौहान

Sharmila-9634111978

मीना-9634121983

शीला पुरी-8449612251

arvind rawat

Pradeep naithani

sandeep

Nandini

प्रेमा देवी

बीरबल डोभाल-9634111978

चेतराम शर्मा, -7500125293



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग।

G20

पत्रांक: 1196/23-2, किददूवाला, दिनांक: 27, फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

द्वारा:- उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, मसूरी वन प्रभाग।

विषय:- आमवाला तरला स्थित आरक्षित वन लाडपुर कक्ष सं० 4ए में वृक्षों की गणना के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक: 2682/1-1, दि०: 12-02-2024 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लाडपुर कक्ष सं० 4ए के अधीन आरक्षित वन क्षेत्र में प्राप्त निर्देशानुसार स्थित वृक्षों की गणना करवाई गई। जिसमें विभिन्न प्रजाति के 5899 वृक्ष पाए गए। जिनकी सूची संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी,
रायपुर रेंज।



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग।

पत्रांक: 1196 / 23-2 ,किद्दूवाला, दिनांक: 27 ,फरवरी, 2024



सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

द्वारा:— उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, मसूरी वन प्रभाग।

विषय:— आमवाला तरला स्थित आरक्षित वन लाडपुर कक्ष सं0 4ए में वृक्षों की गणना के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— आपके कार्यालय का पत्रांक: 2682/1-1, दि0: 12-02-2024 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लाडपुर कक्ष सं0 4ए के अधीन आरक्षित वन क्षेत्र में प्राप्त निर्देशानुसार स्थित वृक्षों की गणना करवाई गई जिसमें विभिन्न प्रजाति के 5899 वृक्ष पाये गये। जिनकी सूची संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी,
रायपुर रेंज।